आंध्रप्रदेश सरकार व अन्य

बनाम

काॅरपोरेशन बैंक

29 मार्च, 2007

(एस. एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.)

बिक्री करः

आंध्रप्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 धारा 2 (1) (ई), स्पष्टीकरण IV (1996 के अधिनियम 27 द्वारा अंतः स्थापित)- संशोधन के माध्यम से अंतःस्थापित व्खाख्या- पूर्वव्यापी या संभावित प्रभाव अभिनिर्णित, व्याख्या IV का उद्देश्य विक्रेता शब्द के अर्थ का विस्तार करना है और इसलिए इसे पूर्वव्यापी अधिनियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि पुराने लेन-देन की विधियों की व्याख्या को शामिल किया जा सके।

विधियों की व्याख्याः व्याख्या का उद्देश्य - अभिनिर्धारित, विधायिका के इरादे की खोज करना है।

यह जांचने के लिए कि क्या संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया स्पष्टीकरण अस्पष्टता को दूर करने के लिए था या विशेष शब्द के अर्थ

का विस्तार करने के लिए था या उन मामलों को शामिल करने लिए था जो अन्यथा मुख्य प्रावधान के भीतर नहीं आ सकते हैं, संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित स्पष्टीकरण क्षेत्र, न्यायालय का उद्देश्य।

प्रत्यर्थी-बैंक 19.08.1987 पर आयोजित आभूषणों की नीलामी बिक्री के कारोबार पर कर की वसूली के लिए जारी मांग नोटिस से व्यथित था। अंतर्गत धारा 5 सपठित स्पष्टीकरण IV आफ धारा 2 (1) (इ.) आंध्रप्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957। उन्होंने नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि 1957 के अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग लेनदेन पर लागू नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय ने विवादित नोटिसों की रद्द करने वाली रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या स्पष्टीकरण IV से धारा 2 (1) (ई) 1996 के संशोधन अधिनियम संख्या 27 का नीलामी बिक्री जो दिनांक 19.08.1987 को आयोजित की गयी पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

- आंध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टीकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टिकरण
 अांध्रप्रप्रदेश सामान्य बिक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए स्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए सम्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए सम्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए सम्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की धारा 2(1) (ई) के लिए सम्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की सम्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदेश सामान्य विक्री की सम्पष्टिकरण
 अांध्रप्रदे
- 2.1. कानून पर क्रेज के सातवें संस्करण के अनुसार, एक घोषणात्मक अधिनियम सामान्य कानून या किसी कानून के अर्थ या प्रभाव में मौजूद संदेहों को दूर करने के लिए एक अधिनियम है। इस तरह की अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। दूसरी और समेकन अधिनियम एक अधिनियम में कई कानूनों में निहित प्रावधानों को समेकित करने के लिए अधिनियमित अधिनियम हैं, उदाहरण के लिए सीमा शुल्क और आबकारी अधिनियम, आय-कर अधिनियम, कंपनी अधिनियम आदि (पैरा 11) (537-ए-बी)
- 2.2. किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण को सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य खंड में और इसका दायदा बढ़ाने के लिए नहीं माना जा सकता है। तथापि यदि किसी स्पष्टीकरण के सही पढ़ने पर किसी दिए गए मामले में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण का प्रभाव मुख्य धारा के दायरे को व्यापक बनाना है, तो विधायी आशय को प्रभाव दिया जाना चाहिए।

ऐसे सभी मामलों में न्यायालय को विधानमंडल के सही इरादे का पता लगाना होता है । इसलिए, यह तय करने के लिए कोई एकल पैमाना नहीं है, कि क्या अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अधिनियमित किया गया है या क्या इसे मुख्य खंड के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। (पैरा 12) (537 - डी - ई)

बिहटा सहकारी विकास और केन विपणन संघ लिमिटेड और अन्य बनाम बैंक आफ बिहार व अन्य, ए. आई. आर. (1967) एस.सी.389, पर भरोसा किया।

- 2.3. 1996 के संशोधन अधिनियम संख्या 27 से पहले, कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जो बैंकों स्पष्टीकरण आदि को कवर करता हो, स्पष्टीकरण IV को पहली बार 1996 के उक्त संशोधन अधिनियम संख्या 27 द्वारा जोड़ा गया था। "विक्रेता" शब्द की परिभाषा इस प्रकार उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा विस्तारित की गई है। इसलिए स्पष्टीकरण IV किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने के लिए नहीं था। इसे इसमें "विक्रेता" शब्द की परिभाषा का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 2 (1) (इ) 1957 के अधिनियम का। (पैरा 12) (537-एफ-जी)
- 3.1. व्याख्या का उद्देश्य विधायिका के इरादे की खोज करना है। न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया स्पष्टीकरण अस्पष्टता को दूर करने के लिए था या क्या उसने एक डीमिंग प्रावधान पेश करके विस्तार का प्रावधान किया था। डीमिंग प्रावधान का उद्देश्य आम तौर पर विशेष शब्द के अर्थ को बढ़ाना या

उन मामलों को शामिल करना है जो अन्यथा मुख्य प्रावधान के भीतर नहीं आ सकते। (पैरा 13) (538-ए-बी)

डाॅयपैक सिस्टम (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1988) 36 ई.एल.टी. 201 पर विश्वास किया।

3.2. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, यह देखा गया है कि स्पष्टीकरण IV में रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और बैंकों को शामिल करने के लिए एक अंतर्निहित डीमिंग प्रावधान में "विक्रेता" शब्द की परिभाषा के भीतर भारत अधिनियम, 1934 का। 2 (1) (इ) 1957 के अधिनियम का। इसलिए, इस तरह के प्रावधान वाले स्पष्टीकरण IV का उद्देश्य "विक्रेता" शब्द के अर्थ का विस्तार करना है और इसलिए, इसे पूर्वव्यापी अधिनियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि अतीत के पुराने लेनदेन को शामिल किया जा सके।

यही कारण है कि विधानमंडल ने भी 1996 के अधिनियम संख्या 27 को अधिनियमित करते समय कहा है कि इसके प्रावधान 01.08.1996 से प्रभाव होंगे, जो यह दिखाने के लिए एक और परिस्थिति है कि संशोधन अधिनियम 01.08.1996 से पहले लागू नहीं होना था। (पैरा 16) (539-बी)

मेसर्स केशवजी रवजी एंड कंपनी आदि, आदि बनाम आय कर आयुक्त ए.आई.आर. (1191) एस.सी. 1806 और मेसर्स अफाली फार्मास्युटिकल लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।, ए.आई.आर. (1989) एस.सी 2227 पर भरोसा किया गया।

4. इसके अलावा, यह मामला एक अप्रत्यक्ष कर, की घटना से संबंधित है जो उधारकर्ता/गिरवीदार पर पड़ता है। नीलामी बिक्री 19.08.1987 की पीछे की पुरानी है। तब से लेन-देन पुरा हो गया है। बैंक प्रतिवादी हैं। पुरानी नीलामी बिक्री के संबंध में गिरवीदार से कर की वसूली की उम्मीद नहीं है, जो 01.08.1996 से बहुत पहले हुआ था। (पैरा 16) (539-सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील नं0 299/2002

आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, पीठ हैदराबाद की सिविल अपील 10997/1990 में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 08.06.2001 के विरूद्ध।

याचिकाकर्ता की ओर सेंः जून जी0 चैधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनोज सक्सेना, रजनीश के आर सिंह एंव राह्ल शुक्ला।

प्रतिवादी की ओर सेंः टी0 एल 0 वी0 अय्यर, जी0 प्रकाश एंव एस 0 एन 0 भट्ट।

- 1. राज्य (अपलकर्ताओं) द्वारा दायर इस सिविल अपील में निर्धारण के लिय एक छोटा सा प्रश्न उठता है: क्या ऋण के बदले में बैंक के पास आभूषणों को गिरवी रखना और यदि ऋण नहीं चुकाया जाता है तो ऐसे सामान की बिक्री करना, "व्यवसाय" होगा आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर, 1957 की धारा 2()1(ई) का अर्थ उसके स्पष्टीकरण IV के साथ पढें।
- 2. 03.04.1989 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, वारंगल के आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की स्पष्टीकरण IV के साथ पठित धारा 5 के तहत 19.08.1987 को आयोजित आभूष्णों की निलामी बिक्री के कारोबार पर कर के भुगतान के लिये प्रतिवादी बैंक को मांग नोटिस जारी किया गया। 1957 ("1957 अधिनियम", संक्षेप में)। इस संबंध में 1957 अधिनियम के स्पष्टीकरण IV के साथ पढी गयी धारा 2(1)(ई) पर भरोसाा किया गया था।
- 3. मांग नोटिस से व्यथित होकर, प्रतिवादी-बैंक ने नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। रिट याचिका में प्रतिवादी-बैंक ने तर्क दिया कि 1957 अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग लेनदेन पर लागू नहीं होते हैं।
- 4. दिनांक 08.06.2001 के निर्णय द्वारा डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुये उन नोटिसों को रद्द किया, जिसमें कहा गया था कि बैंक ऋण के लिये सुरक्षा के रूप में बैंको के पास गिरवी रखे

गये सोने की बिक्री पर बिक्री कर के लिये उत्तरदायी नही है। इसलिये राज्य (अपीलकर्ताओं) द्वारा यह नागरिक अपील।

5. शुरूआत में हम बता सकते हैं कि राज्य (अपीलकर्ताओं) द्वारा दायर अपील में, पूरा जोर 1957 अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के स्पष्टीकरण IV पर दिया गया है, जिसे अधिनियम संख्या 27 द्वारा डाला गया था। 1996 में "डीलर" शब्द की परिभाषा का विस्तार बैंको, एल आई सी और वित्तिय संस्थान को कवर करने के लिये किया गया।

इसलिये इस नागरिक अपील में हमें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है:

क्या 1957 अधिनियम का स्पष्टीकरण IV पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, विशेष रूप सें, क्योंकि वर्तमान मामलें में बैंक को दिया गया नोटिस 19.08.1987 को आयोजित आभूषणों की निलामी बिक्री से संबधित है।

6. 1996 का अधिनियम संख्या 27 एक संशोधन अधिनियम था। इसे 15.10.1996 को राज्यपाल की सहमित प्राप्त हुई। इसे 17.10.1996 को आंध्र प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इससे पहले एक अध्यादेश लाया गया था। उक्त संशोधन अधिनियम 01.08.1996 से प्रभावी हुआ। ऐसा 1996 के उक्त अधिनियम संख्या 27 में विशेष रूप से कहा गया है।

7. उपरोक्त विवाद को तय करने के लिये हम 1957 अधिनियम के स्पष्टीकरण IV के साथ पढी गयी संशोधित धारा 2(1)(ई) को नीचे उद्धृत कर रहे है:

धारा 2 परिभाषाएं:-

- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होेंः-
- (ई) "डीलर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने या वितरित करने या किराया खरीद पर या किश्तों द्वारा भुगतान की किसी भी प्रणाली पर सामान वितरित करने का व्यवसाय करता है, या आपूर्ति या उपयोग से जुड़े किसी भी कार्य अनुबंध को चलाता या निष्पादित करता है सीधे या अन्यथा सामग्री, चाहे नकद के लिये, या आस्थिगित भुगतान के लिये, या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिये और इसमें शामिल हैं:-
- (I) स्थानीय प्राधिकारी, एक कम्पनी, एक हिन्दू अविभाजित परिवार या कोई सोसायटी (सहकारी सोसायटी सहित), क्लब, फर्म या संघ जो ऐसा व्यवसाय करता है;

- (II) एक सोसायटी (सहकारी सोसायटी सिहत), कलब फर्म या एसोसियन जो अपने सदस्यों से सामान खरीदती है या बेचती है, आपूर्ति करती है या वितरित करती है;
- (III) एक आकस्मिक व्यापारी, जैसा कि यहां पहले से परिभाषित किया गया है:
- (III-A) कोई भी व्यक्ति, जो रेस्तरंा या भोजनालय या होटल (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) चलाने के व्यवसाय के दौरान, किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी भी अनय तरीके से आपूर्ति कर सकता है, माल का, भोजन या मानव उपभोग के लिये कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे नशील हो या नही);
- (III-B) कोई भी व्यक्ति, जो व्यवसाय के दौरान किसी भी उद्देश्य के लिये किसी भी सामान के उपयोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है (चाहे एक निर्दिष्ट अवधि के लिये या नही);
- (IV) एक कमीशन एजेन्ट, एक ब्रोकर, एक डेल क्रडिट एजेन्ट, एक निलामकर्ता या कोई अन्य व्यापारिक एजेन्ट, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो किसी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की ओर से सामान खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने या वितरित करने का व्यवसाय करता है;

स्पष्टीकरण I- प्रत्येक व्यक्ति जो "अनिवासी डीलर के एजेन्ट" के रूप में कार्य करता है, अर्थात, राज्य के बाहर रहने वाले डीलर की ओर से एक एजेन्ट के रूप में, और राज्य मे माल खरीदता है, बेचता है, आपूर्ति करता है या वितरित करता है या कार्य करता है ऐसे डीलर की ओर से-

- (I) भारतीय माल बिक्री अधिनिय, 1930 (1930 का केन्द्रीय अधिनियम III) में परिभाषित एक व्यापारिक एजेन्ट; या
- (II) माल या माल सें संबधित स्वामित्व के दस्तावेजों को संभालने के लिये एक एजेन्ट, या
- (III) माल की बिक्री मूल्य के संग्रह या भुगतान के लिये एक एजेन्ट या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये गारंटर के रूप में और राज्य के बाहर स्थित किसी फर्म या कम्पनी की प्रत्येक स्थानीय शाखा को इस उद्देश्य के लिये डीलर माना जाएगा। इस अधिनियम का;

स्पष्टीकरण II- जहां कृषि या बागवानी उपज का उत्पादक स्वंय द्वारा उगाई गई या किसी भी भूमि पर उगाई गई ऐसी उपज को बेचता है जिसमें उसका हित होता है, चाहे मालिक के रूप में, सूदखोर बंधक, किरायेदार या अन्यथा, उस रूप से भिन्न रूप में जिसमें वह बेचता है केवल सफाई, ग्रेडिंग या साॅर्टिगं के अलावा किसी भी भौतिक, रासायनिक या किसी भी प्रक्रिया के अधीन होने के बाद उत्पादित किया गया था, उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये डीलर माना जाएगा;

स्पष्टीकरण III- केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो व्यवसाय के दौरान, नकद या विलंबित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिये सीधे या अन्यथा सामान खरीदती है, बेचती है, आपूर्ति करती है या वितरित करती है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये डीलर माना जाएगा;

स्पष्टीकरण IV- इस खंड के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति और निकाय जो लावारिस या जब्त या अनुपयोगी सामान या स्क्रैप, अधिशेष, पुरानी, अप्रचलित, या परित्यक्त सामग्री या बेकार उत्पादों सिहत किसी भी सामान को बेचता या निपटान करता है, चाहे वह निलामी द्वारा हो या अन्यथा, सीधे या एजेन्ट के माध्यम से नकद के लिए, या स्थगित भुगतान के लिए या किसी अन्य मूल्यवान विचार के लिए ऐसे निपटान या बिक्री की सीमा एक डीलर माना जाएगा:-

- (ए) पोर्ट ट्रस्ट;
- (बी) नगर निगम और नगर परिषदें, और स्थानीय प्राधिकरण;
- (सी) भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के तहत परिभाषित रेलवे प्रशासन;
- (डी) शिपिंग, परिवहन और निर्माण कंपनियां,

- (ई) हवाई परिवहन कंपनियां और एयरलाइंस,
- (एफ) ट्रांसपोर्टर, जिनके पास मोटर-वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दिए गए परिवहन वाहनों के लिए परिमट हैं, जिनका उपयोग किया जाता है या किराए के लिए उपयोग किये जाने के लिए अपनाया जाता है,
- (जी) आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
- (ज) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का प्रशासन करने वाला भारत सरकार का सीमा शुल्क विभाग,
- (प) भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल बीमा और वितीय निगम या कंपनियां और बैंक,
- (जे) विज्ञापन एजेंसियां,
- (के) कोई अन्य निगम, कंपनी निकाय या प्राधिकरण जिसका स्वामित्व या स्थापना "केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण" के अधीन है।"
- 8. 1957 अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य में वस्तुओं की बिक्री/खरीद पर सामान्य कर लगाने से सम्बन्धित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। धारा 2(1)(ई) के तहत शब्द "डीलर" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सीधे या अन्यथा सामान खरीदने, बेचने या वितरित करने का व्यवसाय करता है, चाहे नगद के लिए या

विलंबित भुगतान के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान विचार के लिए। शब्द "डीलर" की मूल परिभाषा किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जो नकद या विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए सामान बेचने का व्यवसाय करता है।

उस परिभाषा के कारण मुकदमेंबाजी शुरू हो गई जब बैंकों को मांग नोटिस जारी किए गए, जिसमें उधारकर्ता/गिरवीकर्ता की ओर से डिफाॅल्ट के लिए गिरवी रखे गए आभूषणों/आभूषणों की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए कहा गया। बैंकों ने तर्क दिया कि वे गिरवी दलाली के व्यवसाय में नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास गिरवी रखे गए आभूषण/सोना गिरवीकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बेचे गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि वे उक्त सोने/आभूषणों के मालिक नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि गिरवी रखे गए सोने/आभूषणों के मालिक नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि गिरवी रखे गए सोने/आभूषणों की बिक्री "उनके व्यवसाय के अन्तर्गत" नहीं आती है 1957 अधिनियम की धारा 2(1)(ई). इन दलीलों को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप, राज्य विधानमंडल ने अधिनियम बनाया। 1996 की संख्या 27 जिसके द्वारा स्पष्टीकरण IV 1957 अधिनियम में डाला गया था।

उस स्पष्टीकरण में, अन्य बातों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में आने वाले एलआईसी, वितीय निगमों, कंपनियों और बैंकों को शामिल करने की मांग की गई है। उक्त संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता। 1996 की संख्या 27 को बैंक (प्रतिवादी) द्वारा वर्तमान कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई है।

- 9. जैसा कि उपर कहा गया है, राज्य (अपीलकर्ताओं) द्वारा दायर सिविल अपील में उठाया गया एक मात्र तर्क यह है कि 1996 के संशोधन अधिनियम संख्या 27 के अधिनियमन के साथ बैंकों को "डीलर" शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसलिए, हमें केवल इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या उक्त संशोधन अधिनियम 1996 की संख्या 27 को 19.08.87 को आयोजित नीलामी बिक्री पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया।
- 10. स्पष्टीकरण की प्रकृति इस न्यायालय के कई निर्णयों में वैधानिक व्याख्या का विषय रही है।
- 11. क्रेज आन स्टैटयूट लाॅ, सातवें संस्करण, पृष्ठ 58 के अनुसार, एक घोषणात्मक अधिनियम सामान्य कानून, या किसी कानून के अर्थ या प्रभाव में मौजूद संदेह को दूर करने के लिए एक अधिनियम है। ऐसे अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। दूसरी ओर समेकित अधिनियम वे अधिनियम हैं जो कई कानूनों में निहित प्रावधानों को एक अधिनियम में समेकित करने के लिए बनाए गए हैं, उदाहरण के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। वगैरह।

12. किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या में, निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम साहित्यिक निर्माण है। यदि प्रावधान स्पष्ट है और यदि उस प्रावधान से विधायी मंशा स्पष्ट है, तो हमें निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण के अन्य नियम तब लागू किये जाते हं जब विधायी मंशा स्पष्ट नहीं होती। बिहटा सहकारी विकास एवं गन्ना विपणन संघ लिमिटेड एवं अन्य बनाम बैंक आफ बिहार और अन्य, एआईआर (1967) एससी 389 में इस न्यायालय को बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा 48(1) के स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए बुलाया गया था।

इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को केवल लेबल के अनुसार नहीं चलना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि मुख्य खंड में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण को आमतौर पर पढ़ा जाना चाहिए और इसे खंड के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है। हालांकि, यदि किसी स्पष्टीकरण को सही ढंग से पढ़ने पर किसी दिए गए मामले में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण का प्रभाव मुख्य अनुभाग के दायरे को व्यापक बनाना है तो विधायी इरादे पर प्रभाव डाला जाना चाहिए।

यह माना गया कि ऐसे सभी मामलों में न्यायालय को विधानमंडल की वास्तविक मंशा का पता लगाना होगा। इसलिए, यह तय करने के लिए कोई एक पैमाना नहीं है कि कोई स्पष्टीकरण अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए अधिनियमित किया गया है या क्या यह मुख्य खंड के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। तथ्यों पर यह माना गया कि 1948 से पहले बिहार में संशोधन और उड़ीसा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935, कानून की किताब पर एक स्पष्टीकरण था और बाद का स्पष्टीकरण केवल पहले के स्पष्टीकरण को स्पष्ट करने के लिए था और इसलिए, न्यायालय ने माना कि बाद के स्पष्टीकरण का उददेश्य धारा के दायरे को बढ़ाना नहीं था।

बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 में 48(1) (ई)। संशोधन अधिनियम से पहले के वर्तमान मामले में। 1996 की संख्या 27 में बैंकों, एलआईसी को कवर करने वाला कोई स्पष्टीकरण नहीं था। आदि। जैसा कि उपर कहा गया है, स्पष्टीकरण IV को पहली बार 1996 के उक्त संशोधन अधिनियम की संख्या 27 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार "डीलर" शब्द की परिभाषा उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा विस्तारित की गई है 1996 की संख्या 27। इसलिए, हमारे विचार में, स्पष्टीकरण IV किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने के लिए नहीं था। इसे 1957 अधिनियम की धारा 2(1)(ई) में "डीलर" शब्द की परिभाषा का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

13. डाॅयपैक सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1988) 36 ईएलटी 201 के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि निर्माण और परिभाषाओं, अपवादों, स्पष्टीकरणों, कल्पनाओं, डीमिंग प्रावधानों, शीर्षकों की आंतरिक सहायता, सीमांत नोट्स, प्रस्तावना, परंतुक, विराम चिन्ह, बचत उपवाक्य, गैर-अस्पष्ट उपवाक्य आदि। यह देखा गया कि व्याख्या का उददेश्य विधानमंडल के इरादे की खोज करना है। आगे यह देखा गया कि न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या संशोधन अधिनियम द्वारा कोई स्पष्टीकरण डाला गया है अस्पष्टता को दूर करना था या क्या यह एक डीमिंग प्रावधान पेश करके विस्तार प्रदान करता था।

न्यायालय ने आगे कहा कि आम तौर पर डीमिंग प्रावधान का उददेश्य विशेष शब्द के अर्थ को बढ़ाना या उन मामलों को शामिल करना है जो अन्यथा मुख्य प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं। (देखें पैरा '64') उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करने पर, हम उपर उद्धृत स्पष्टीकरण IV से पाते हैं कि उस स्पष्टीकरण में एक अंतर्निहित डीमिंग प्रावधान है ताकि दूसरी अनुसूची में उल्लेखित एलआईसी, वितीय संस्थानों, कंपनियों और बैंकों को शामिल किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2(1)(ई) में "डीलर" शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत 1957 अधिनियम के. इसलिए, ऐसे समझे जाने वाले प्रावधानों वाले स्पष्टीकरण IV का उददेश्य "डीलर" शब्द के अर्थ

का विस्तार करना है और इसिलए, इसे पूर्वव्यापी अधिनियम के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता तािक अतीत के पुराने लेनदेन को कवर किया जा सके। यही कारण है कि विधानमंडल ने भी 1996 के अधिनियम संख्या 27 को अधिनियमित करते समय कहा है कि उसके प्रावधान 1.8.96 से लागू होंगे जो यह दिखाने के लिए एक और परिस्थित है कि संशोधन अधिनियम 1.8.96 से पहले लागू नहीं होना था।

14. मैसर्स केशवजी रावजी एंड कम्पनी आदि, आदि, बनाम आयकर आयुक्त, एआईआर (1991) एससी 1806 के मामले में इस न्यायालय ने पैरा '14' में देखा कि स्पष्टीकरण के प्रभाव और इरादे के बारे में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं है, हालांकि आमतौर पर स्पष्टीकरण का उददेश्य संदेहों को स्पष्ट करना है। हालांकि, इस न्यायालय ने आगे कहा कि एक स्पष्टीकरण प्रावधान की सामग्री में कुछ भी प्रदान कर सकता है और ऐसे मामले में न्यायालय को इसके प्रभाव पर विचार करना होगा, चाहे वह पूर्वट्यापी हो या सम्भावित।

15. मैसर्स अपाली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर (1989) एससी 2227 के मामले में इस न्यायालय ने पाया कि औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम,1955 में पहले के स्पष्टीकरण में एक अन्य स्पष्टीकरण के माध्यम से कुछ बदलाव किए गए थे। वित अधिनियम, 1962 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से

लाया गया। न्यायालय ने राज्य की ओर से दी गई इस दलील को बरकरार रखा कि नया स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी था। ऐसा करते समय न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित स्पष्टीकरण ने अनुसूची में मौजूदा वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया है ताकि कोई नया दायित्व लगाया जा सके और इसलिए, आक्षेपित स्पष्टीकरण स्पष्ट और पूर्वव्यापी था।

16. उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करने पर, हम पाते हैं कि स्पष्टीकरण IV से धारा 2(1)(ई) 1957 के अधिनियम के अन्सार, बैंकों, वितीय संस्थानों आदि को उक्त स्पष्टीकरण में एक अंतर्निहित अभिव्यक्ति "मान्य प्रावधान" द्वारा कवर करने की मांग की गई है। उक्त काल्पनिक कथा द्वारा "डीलर" के अर्थ का विस्तार करने की कोशिश की गई है ताकि बैंकों, वितीय संस्थानों, एलआईसी को इसमें शामिल किया जा सके। आदि। उक्त स्पष्टीकरण के दवारा बैंकों, वितीय संस्थानों, एलआईसी पर पहली बार देनदारी पैदा करने की कोशिश की गई है। आदि। इसके अलावा, हम एक अप्रत्यक्ष कर से चिंतित हैं, जिसका भार उधारकर्ता/गिरवीकर्ता पर पड़ता है। वर्तमान मामले में नीलामी बिक्री 19.8.87 को ह्ई है। तब से लेन देन समाप्त हो गया है। बैंक (प्रतिवादी) से पुरानी नीलामी बिक्री के सम्बन्ध में गिरवीकर्ता से कर की वसूली की उम्मीद नहीं है, जो 1.8.96 से बहुत पहले हुई थी।

- 17. उपरोक्त कारणों से, हमें इस बड़े प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या लेनदेन बैंक के कारोबार के दौरान हुआ था। हालांकि, इस प्रश्न की जांच उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में की गई है, हमें उन प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से, जब कानून को सम्भावित रूप से संशोधित किया गया हो और इसलिए भी राज्य (अपीलकर्ताओं) द्वारा दायर सिविल अपील पूरी तरह से आधारित है 1996 के अधिनियम संख्या 27 में संशोधन के माध्यम से स्पष्टीकरण IV का सम्मिलन।
- 18. निष्कर्ष निकालने से पहले हम स्पष्ट कर सकते हैं कि स्पष्टीकरण IV 1.8.96 को और उसके बाद के लेनदेन पर लागू होगा।
- 19. उपरोक्त के अधीन, राज्य (अपीलकर्ताओं) द्वारा दायर सिविल अपील को लागत के सम्बन्ध में बिना किसी आदेश के निपटाया जाता है।

अपील निर्णित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रुप चंद सुथार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।